

लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना में प्रधान आप्त सचिव के पद पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु

लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना में रिक्त प्रधान आप्त सचिव के 01 (एक) पद पर संविदा के आधार पर पर नियोजन हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन विहित-प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं :—

1. **पात्रता** :— (i) माननीय उच्च न्यायालय, पटना से प्रधान आप्त सचिव/समकक्ष पद से सेवा निवृत्त आशुलिपिक सम्बर्ग के पदाधिकारी।
(ii) अंग्रेजी आशुलेखन तथा टंकण का ज्ञान अनिवार्य है।
2. **उम्र सीमा** :— 01.01.2019 को अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक होगी।
3. **कोटि—अनारक्षित**।
4. कार्य असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के नियोजन समाप्त किया जा सकेगा।
5. संविदा पर नियोजन प्रथमतः एक वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने तक तथा इसके पूर्व भी समाप्त किया जा सकेगा।
6. निम्नांकित कोटि के कर्मियों को नियोजन नहीं किया जा सकेगा :—
 - (i) जिन पर कोई निगरानी का मामला चल रहा हो।
 - (ii) जिन पर कोई विभागीय कार्यवाही चल रही हो।
 - (iii) जिन पर कोई गम्भीर आरोप विचाराधीन हो।
 - (iv) जिन पर किसी भी तरह का कोई अपराधिक मामला दर्ज हो।
 - (v) जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में सक्षम नहीं है।
7. उपर्युक्त शर्तों के अधीन जो माननीय उच्च न्यायालय पटना से समकक्ष पद से सेवानिवृत्त आशुलिपिक संबर्ग के पदाधिकारी संविदा पर नियोजन के लिए इच्छुक हैं, वे अपना आवेदन विहित प्रपत्र में विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के भीतर 4, कौटिल्य मार्ग पटना-1 स्थित लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना में जमा कर सकते हैं।

नियोजन हेतु विहित आवेदन का प्रारूप

1. सेवानिवृत्त पदाधिकारी का नाम :—

मोबाईल संख्या—

E mail I.D.

2. अभ्यर्थी के पिता/पति का नाम :—

3. जन्म तिथि :—

4. सेवानिवृत्ति की तिथि :—

5. वर्तमान पता :—

6. स्थायी पता :—

7. नियुक्ति की तिथि :—

8. विभाग का नाम जहाँ से अभ्यर्थी सेवा निवृत्त हुए है :—

9. (i) पदनाम :—

(जिस पद से सेवानिवृत्त हुए हैं)

(ii) उक्त पद पर कुल सेवावधि :—

10. अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई अपराधिक वाद/निगरानी

वाद/विभागीय कार्यवाही लंबित है या नहीं

11. कोटि (आरक्षित/अनारक्षित)

रंगीन
फोटो
(पासपोर्ट साईज)

स्थान :

तिथि :

आवेदक का हस्ताक्षर

नोट :— (i) विज्ञापन को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार माननीय अध्यक्ष, लोकायुक्त बिहार, पटना के समक्ष सुरक्षित रहेगा ।
(ii) किसी भी विवाद का निपटारा माननीय अध्यक्ष, बिहार लोकायुक्त कार्यालय, पटना के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में रहेगा ।